

अधिशाली अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड
श्रीनगर गढ़वाल।

पत्रांक 3274 / पी०एम०जी०एस०वाई० सि०ख० श्रीनगर / वनभूमि / दिनांक 19 / 11 / 2016।
सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण
इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।


विषय- चपलोडी-कुल्याणी मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण की हार्ड काफ़ी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के कम में अवगत कराना है, कि इस खण्ड के अन्तर्गत चपलोडी-कुल्याणी मोटर मार्ग स्टेज-1 एवं II के निर्माण हेतु वन भूमि प्रस्ताव गठित कर समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात दिनांक 15-03-2015 को ऑनलाइन भारत सरकार के वन भूमि पोर्टल में अपलोड कर दिया गया था। तत्पश्चात सम्बन्धित विभाग द्वारा समय-समय पर लगायी गयी आपत्तियों का समयान्तर्गत निराकरण कर समावेश किया गया है। वर्तमान में प्रस्ताव वन भूमि पोर्टल पर प्रयोक्ता एजेन्सी में दर्शाया गया है, जिस पर संलग्न आपत्ति में यह कथन किया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा चपलोडी-कुल्याणी मोटर मार्ग के वन भूमि के प्रस्ताव की एक प्रति आपके कार्यालय में प्रेषित किया जाना अनिवार्य है।

अतः चपलोडी-कुल्याणी मोटर मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव की एक प्रति प्रभागीय वनाधिकारी के परीक्षणोपरान्त एवं हस्ताक्षर सहित एक हार्ड काफ़ी आपको प्रेषित की जा रही है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।


अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड
श्रीनगर गढ़वाल

पत्रांक / पी०एम०जी०एस०वाई० सि०ख० श्रीनगर / वनभूमि / तदिनांक

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



सम्प्रेक्षक
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय
भूमि सर्वेक्षण, फॉरेस्ट कॉलोनी
(उत्तराखण्ड)

अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड
श्रीनगर गढ़वाल